न्यायालयः अपर जिला जज प्रथम, हापुड़।
सत्र वाद संख्या– 259/2024
सरकार बनाम नईम आदि।
अंतर्गत धारा– 3/5 ख/8 उ०प्र० गौवध निवारण
अधिनियम एवं 3/25 आयुध अधिनियम।
मु०अ०सं० 375/2023
थाना– हापुड़ नगर, जिला– हापुड़।

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

दिनांकः– 21.05.2026

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण **नईम, वसीम, अफजाल उर्फ बांडा व फरीद** जेरे जमानत उपस्थित।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण **नईम, वसीम, अफजाल उर्फ बांडा** के विरुद्ध उ०प्र० गौवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5 ख/8 एवं आयुध अधिनियम की धारा 3/25 एवं अभियुक्त **फरीद** के विरुद्ध उ०प्र० गौवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5 ख/8 के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धारा के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दिनांक 10.06.2026 को पेश हो।

दिनांकः– 21.05.2026

(हनी गोयल)
(J.O. Code–UP2408)
अपर जिला जज प्रथम,
हापुड़।

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2026.05.22 14:16:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालयः अपर जिला जज प्रथम, हापुड़।
सत्र वाद संख्या– 259/2024
सरकार बनाम नईम आदि।
अंतर्गत धारा– 3/5 ख/8 उ०प्र० गौवध निवारण
अधिनियम एवं 3/25 आयुध अधिनियम।
मु०अ०सं० 375/2023
थाना– हापुड़ नगर, जिला– हापुड़।

<u>आरोप</u>

मैं, हनी गोयल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण **नईम, वसीम, अफजाल उर्फ बांडा** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं–

<u>प्रथम</u>– यह कि दिनांक 24/25.05.2023 की रात्रि 20.29 से 01.34 के मध्य वहद स्थान सरावा गांव से दस्तोई रोड पर, मन्दिर के आगे पप्पू की ट्यूबवैल के पास हरिओम का आम का बाग, थाना हापुड़ नगर, जिला हापुड़ में आप अभियुक्तगण ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गौवध करने के आशय से गौवंश के पैर व मुंह बांधकर एवं नीचे गिराकार गोवंश की जान को खतरे में डाला। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5 ख/8 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

<u>द्वितीय</u>– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण प्रत्येक से एक–एक अदद तमंचा 315 बोर एवं एक–एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुए, जिनको रखने का लाइसेंस मांगे जाने पर आप लाइसेंस दिखाने में कासिर रहे। इस प्रकार से आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य आयुध अधिनियम की धारा 3/25 भा०दं०सं० के तहत दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।
दिनांकः– 21.05.2026

(हनी गोयल)
(J.O. Code–UP2408)
अपर जिला जज प्रथम,
हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करता हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।
दिनांकः– 21.05.2026

(हनी गोयल)
(J.O. Code–UP2408)
अपर जिला जज प्रथम,
हापुड़।

न्यायालयः अपर जिला जज प्रथम, हापुड़।
सत्र वाद संख्या– 259/2024
सरकार बनाम नईम आदि।
अंतर्गत धारा– 3/5ख/8 उ०प्र० गौवध निवारण
अधिनियम एवं 3/25 आयुध अधिनियम।
मु०अ०सं० 375/2023
थाना– हापुड़ नगर, जिला– हापुड़।

<u>आरोप</u>

मैं, हनी गोयल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्त **फरीद** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं–

<u>प्रथम</u>– यह कि दिनांक 24/25.05.2023 की रात्रि 20.29 से 01.34 के मध्य वहद स्थान सरावा गांव से दस्तोई रोड पर, मन्दिर के आगे पप्पू की ट्यूबवैल के पास हरिओम का आम का बाग, थाना हापुड़ नगर, जिला हापुड़ में आप अभियुक्त ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गौवध करने के आशय से गौवंश के पैर व मुंह बांधकर एवं नीचे गिराकार गोवंश की जान को खतरे में डाला। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5ख/8 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांकः– 21.05.2026

(हनी गोयल)
(J.O. Code–UP2408)
अपर जिला जज प्रथम,
हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करता हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः– 21.05.2026

(हनी गोयल)
(J.O. Code–UP2408)
अपर जिला जज प्रथम,
हापुड़।